Leadership, Education, Personality: An Interdisciplinary Journal ISSN: 2524-6178
www.sibe.rpress.co.in, Vol. 18, Issue 12 December 2023, UGC CARE 1

सर्वांगीण विकास और सामाजिक बदलाव के लिए विद्यालयी शिक्षा

ऑथर–1 नूतन कुमारी रिसर्च स्कॉलोर एजूकेशन
जे.एस. विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद
उ.प्र. इण्डिया
ईमेल आई डो–nutankumari1551978@gmail.com

ऑथर–2 प्रो. विभा चौहान
जे.एस. विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद
उ0प्र0 इण्डिया

वर्ष 2020 में 21वीं सदी के भारत की पहली शिक्षा नीति आ चुकी है। इस नीति ने भारत के सम्मुख उपस्थित विकास के मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास किया है। यह नीति शिक्षा के प्रत्येक घटक–कक्षा शिक्षण, पाठ्यचर्या, गवर्नेंस आदि को 21 वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बदलना चाहती है। इस नीति का ध्येय भारतीय पंरपरा और मूल्यों के अनुरूप 21वीं सदी के भारत को विकसित करना है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की पूर्ति के लिए भावी पीढ़ी को तैयार करना है। इस नीति में आत्मनिर्भरता केवल आथिक संदर्भ में ही नहीं परिकल्पित की गई है, बल्कि इसे ज्ञान–आधारित समतामूलक समाज के रूप में भी परिकल्पित किया गया है। इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर भारत की विशिष्ट पहचान को भी निर्मित करना है। यह नीति भारत की आधारशिला रखती है। इस नीति में निहित भारतीयता की अवधारणा केवल साक्षरता का प्रसार नहीं है, बल्कि विचार, कर्म और व्यवहार में भारतीय मूल्यों को पोषित करना है। इस नीति के द्वारा यूरो–केन्द्रित शिक्षा और चिंतन दृष्टि का पूरी तरह से उन्मूलन किया गया है। ऐसा करने पर ही आने वाले समय में हम भारतीय परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाली शिक्षा–व्यवस्था को विकसित कर पाएँगे। यह नीति भारत की युवा आबादी की आकांक्षा को भी प्रतिबिंबित करती है। इस नीति को हम युवा भारत की शिक्षा नीति भी कह सकते हैं। इस नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता समग्रता पर बल देना है। यहाँ समग्रता का अभिप्राय व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा–व्यवस्था के समस्त पक्षों का रूपांतरण करना है। इसमें विषय–वस्तु, शिक्षा की संरचना, गवर्नेंस और शिक्षा में मूल्यों के समावेश पर बल देना सम्मिलित है। यह नीति भारतीय संस्कृति के अनुरूप शिक्षा–व्यवस्था में बदलाव कर अपेक्षा ाऔर वास्तविकता के बीच अंतराल को समाप्त करना चाहती है। इस अंतराल के कारण ही शिक्षा में गुणवत्ता, समानता और समावेशन की समस्या पैदा हो रही है। उदाहरण के लिए, आज भी हमारी विद्यालय शिक्षा विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता और वैज्ञानिक चिंतन की क्षमता पैदा नहीं कर पा रही है। आज भी हमारे यहाँ सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय, भाषायी स्तर पर समावेशन की चुनौतियाँ उपस्थित हैं। यह नीति इन सभी आयामों को संबोधित करने का पूर्ण प्रयास करती हैं। यह नीति उक्त क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधार करने का दायित्व राज्य को सौंपती है। राज्यों से अपेक्षित है कि वे औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था इस तरह से करें कि प्रत्येक व्यक्ति में निहित क्षमता का पूर्ण विकास हो सके और वह आत्मनिर्भर बन सके। व्यक्तियों का आत्मनिर्भर होना ही राष्ट्र की आत्मनिर्भरता का आधार बनेगा, यहाँ आत्म निर्भरता का आशय केवल समर्थवान को समर्थ बनाना नहीं है, बल्कि ऐसे समूहों को, जो ऐतिहासिक दृष्टि से हाशिए पर है, वंचित हैं, शोषित हैं, शिक्षा द्वारा उनको सशक्त बनाना है। इसे ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा नीति में विशिष्ट शिक्षा क्षेत्रों का सुझाव आया है। विशिष्ट शिक्षा क्षेत्र, शिक्षा में समावेशन और समानता की चुनौतियों को संबोधित करने का कार्य करेंगे।

प्रस्तावना–

पाठ्यचर्या में सुधार हेतु शिक्षा नीति विद्यालय की संरचना में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 के प्रारूप की संस्तुति करती है। यह नई संरचना विद्यार्थियों को 'क्या सिखाना है और कितना सिखाना है' के साथ–साथ 'उन्हें कैसे सीखना है' के मनोवैज्ञानिक आयाम को भी संबोधित करती है। इस तरह का बदलाव होने पर विद्यालय शिक्षा का पूर्ण कायाकल्प होगा। विद्यालयी शिक्षा जीवन और जीविका से जुड़ेगी। इसके साथ–साथ इससे उच्च शिक्षा के लिए भी सक्षम एवं सशक्त विद्यार्थी पहुँचेंगे। इस नीति सुझाव है कि हमें गणित और विज्ञान के साथ कहानी, कविता, शिल्प भाषा कला और खेल इन सभी विषयों को विद्यालय स्तर पर समुचित स्थान देना है। इससे विद्यार्थी के लिए विद्यालयी जीवन आनद से भरपूर होगा, उसमें अन्वेषण आधारित दृष्टि का विकास होगा। इस तरह के परिवेश में बड़े होने पर विद्यार्थी अपने परिवेश की विविधता की भी सराहना कर पाएँगे और सीखना उनके लिए बोझ नहीं बनेगा। उनकी सृजनात्मक कल्पना संवर्धित होगी। आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में बच्चों को भौतिक और सांस्कृतिक विकास महत्त्वपूर्ण होता है। इसके द्वारा ही उनमें अच्छी जीवनशैली और अच्छी आदतों का विकास होता है। इस स्तर पर विद्यालय का परिवेश, अध्यापकों की अभिवृत्ति और विद्यालय में अभिभावकों की भागीदारी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए यह नीति आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के स्तर पर अच्छी आदतों का विकास, भौतिक और मानसिक विकास के लिए स्थानीय परिवेश के उपयोग, कहानियों, खेलों, कलाओं के माध्यम से एक ऐसी पारिस्थितिकी का विकास कर विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने की संस्तुति करती है । बाल्यावस्था में शिक्षा के कार्यक्रमों को वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पुनर्गठित करते हुए समावेशी शिक्षा का आधार बनाती है। यह पहल शिक्षा की गुणवत्ता और सामाजिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लिए आने वर्षों में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और विद्यालयी शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा एवं अध्यापकों के प्रशिक्षण प्रारूप को विकसित करने की प्रतिबद्धता है।

पाँच वर्ष की आरंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के बाद अगले 3 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा को तैयारी की अवस्था के रूप में समझ सकते हैं, जिसमें भाषा और गणितीय क्षमता पर बल दिया जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता गुणवत्ता मिशन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छठवीं कक्षा तक प्रत्येक विद्यार्थी आधारभूत साक्षरता और गणितीय योग्यता की न्यूनतम दक्षता को प्राप्त कर ले। विद्यालयों में मातृभाषा पर जोर देते हुए अन्य भाषाओं को सीखने का अवसर भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस स्तर पर विभिन्न विषय के रूप में ज्ञानानुशासन का भी परिचय कराया जाएगा। इस अकादमिक सुदृढ़ता के साथ–साथ विद्यार्थियों को शिल्प और कला का भी अनुभव प्रदान किया जाएगा। इसी तरह एक महत्त्वपूर्ण सुझाव यह है कि विद्यार्थी कम–से–कम 10 दिन बिना किताबों के स्कूल जाएँ।

इस स्तर पर विद्यार्थियों को जो व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसका उद्देश्य कौशल विकास ही नहीं होगा, बल्कि विद्यार्थियों में रुचि विकसित करना, उन्हें समाज के विविध पक्षों का समझना और कला के माध्यम से उनके अनुभव को समृद्ध करना भी होगा। यह बदलाव उन्हें समाज की विविधता को समझने, परंपरागत भारतीय ज्ञान –परंपरा और कौशल को समझने का भी अवसर देगा । शिल्प और कला के माध्यम से संस्कृति, प्रकृति और विकास का संबंध में भविष्य के भारत की नींव बनेगा। प्रत्येक विद्यालय गांधीजी के सपनों का विद्यालय बनेगा, जहाँ शिल्प के माध्यम से समग्र विकास के लक्ष्य को साकार किया जाएगा। इस तरह से विद्यालयों में सीखना केवल सैद्धांतिक होने के बजाय आनुभविक भी होगा। बच्चों के लिए विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया उनके परिवेश और जीवन से जुड़ जाएगी। इसी के समानांतर यह भी सुझाव है कि माध्यमिक स्तर के लिए पाठ्यचर्या का विकास इस तरह से किया जाएगा कि वह किशोरों की अपेक्षाओं और स्वतंत्र चिंतन की आवश्यकता को पूर्ण कर सके। इस स्तर पर विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी जैसे विषयों को अधिक गहराई के साथ आलोचनात्मक चिंतन और लोचशीलता के साथ पढ़ाया जाएगा। विद्यार्थी अपनी अपेक्षाओं और लक्ष्यों के अनुसार अलग–अलग विषय चुन सकते हैं। किसी विद्यार्थी पर कोई विशेष विषय थोपा नहीं जाएगा। इस स्तर पर आकलन का उद्देश्य विद्यार्थियों में अवधारणाओं के विकास की प्रक्रिया को समझना होगा। केवल उन्हें अंक प्रदान करने के लिए मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। एक वर्ष में दो बार बोर्ड की परीक्षाएँ होंगी। इसके साथ–साथ कक्षा 10 के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रम को चुनने का भी अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। उच्चतर माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में भारत का इतिहास, विज्ञान के क्षेत्र में योगदान, जीवन के मूल्यों, नागरिक चेतना और संवैधानिक मूल्यों आदि को भी शामिल किया जाएगा। पुस्तकें इस तरीके से तैयार की जाएँगी कि वे केवल सूचना प्रदान करने के स्थान पर तर्कपूर्ण चिंतन और विचार–विमर्श का अवसर उपलब्ध कराएँ। पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थियों में खोजी प्रवृत्ति को पोषित किया जाएगा। भारतीय भाषाओं के माध्यम से उन्हें भारत की एकता और सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध परंपरा से भी परिचित कराया जाएगा। इसके साथ–साथ आधुनिक विषयों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी कृत्रिम बुद्धि आदि को भी पाठ्यचर्या में समुचित स्थान दिया जाएगा। पाठ्यचर्या में पाठ्य सहगामी गतिविधियों, जैसे– कला और शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों को भी शामिल किया जाएगा। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यालयी विषयों, जैसे गणित आर जीव विज्ञान में श्ए प्लसश ग्रेड की परिपाटी को तोड़ते हुए, विकास के विभिन्न क्षेत्रों जैसे – कला एवं खेल में उपलब्धि की स्वीकृति और सराहना भी है। हमें पठन–पाठन की ऐसी संस्कृति विकसित करनी होगी, जिसमें गणित और भौतिकी जैसे विषयों में उल्लेखनीय योगदान करनेवाले विद्यार्थियों के साथ–साथ उन विद्यार्थियों की भी सराहना की जाए, जो कला और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैंय उन्हें भी हम एक अच्छे खिलाड़ी और अच्छे नायक के रूप में पहचान मिले।

भाषा विभेद का उन्मूलन

भाषा विभेद को समाप्त करना इस नीति का एक प्रमुख प्रस्थान बिंदु है। यह नीति शिक्षा के क्षेत्र में किसी एक भाषा की प्रधानता के बजाय विद्यार्थियों की मातृभाषाओं को स्थान दिया जाए, इसके लिए प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य किसी एक भाषा को बच्चे पर थोपना नहीं है। यह नीति मातृभाषा की ताकत और संभावनाओं को पहचानती है और शिक्षा के क्षेत्र में भाषा भेद को समाप्त करते हुए सामाजिक न्याय एवं वैज्ञानिक उपागम के अनुरूप मातृभाषा में शिक्षा का सुझाव देती है। यह नीति विशेष रूप से इस बात पर बल देती है कि उच्च शिक्षा और रोजगार में सफलता के लिए आपको अपनी मातृभाषा छोड़कर किसी अन्य भाषा में शिक्षा न लेनी पड़े। इस नीति में भारतीय भाषाओं के साथ–साथ विदेशी भाषाओं के लिए भी संभावना व्यक्त की गई है। यह उन विद्यार्थियों के लिए भी विशेष रूप से चिंता व्यक्त करती है, जो सामाजिक–आर्थिक कारणों स पिछड़ जाते हैं और औपचारिक शिक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की सुविधा भागीदारी और क्षमता संवर्धन जैसे उपाय इस नीति में सुझाए गए हैं। इसके लिए विशिष्ट शिक्षा क्षेत्र का प्रावधान विशेष रूप से उल्लेखनीय है, इसके अंतर्गत नीति उन उपायों का उल्लेख करती है, जिसके द्वारा सरकार स्थानीय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करनेवाली सुविधाओं को उपलब्ध करा सकती है।

बदलाव के कर्ता के रूप में शिक्षक

यह नीति इस मान्यता पर आधारित है कि शैक्षिक सुधारों को क्रियान्वित करने का कार्य अध्यापक करते हैं। आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा एवं शोध तक अध्यापकों का सशक्तीकरण आवश्यक है। अध्यापकों को सशक्त करने के उद्देश्य से नीति सुझाव देती है कि वर्ष 2030 तक सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा को एकीकृत बहुअनुशासनात्मक प्रारूप में संचालित किया जाए। इस सुधार के कारण योग्य एवं क्षमतावान युवाओं को शिक्षण व्यवसाय की ओर आकर्षित किया जाएगा। अध्यापकों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान करने और उनके सतत विकास के अवसर को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। इस तरह से नीति शिक्षकों की पेशेवर स्थिति सुधार कर भारत को विश्वगुरु बनाने की परिकल्पना करती है।

विद्यालयी तंत्र में सुधार

भारत के एक चौथाई विद्यालयों में आधारभूत संसाधनों एवं अध्यापकों का अभाव जैसी समस्याएँ व्याप्त हैं। इसके लिए कोठारी कमीशन एवं पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी विद्यालयों के आधारभूत संसाधनों को सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया था । यह परिकल्पित किया गया था कि ऐसा करने पर विद्यालयों के बीच संसाधनों की भागीदारी

होगी और वे शिक्षा के अवसर को सुनिश्चित करने के लिए आपस में मिल–जुलकर कार्य करेंगे, लेकिन आज तक यह योजना अपने मूल स्वरूप में साकार नहीं हो पाई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 इसे प्रभावपूर्ण तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करती है। इस नीति की महत्त्वपूर्ण संस्तुति है कि विद्यार्थियों को प्रशिक्षित अध्यापक और मार्गदर्शक मिलने चाहिए। इसके साथ–साथ विद्यालय संकुल में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि विद्यार्थियों के लिए संगीत, विज्ञान, खेल, व्यवसायिक प्रशिक्षण के संसाधन उपलब्ध हों। विद्यालयों में पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, कौशल केंद्र और खेल के मैदान की सुविधा उपलब्ध हो। इन संसाधनों का साझेदारी के साथ उपयोग किया जाए। यह सुझाव इस अर्थ में महत्त्वपूर्ण है कि इसके द्वारा विद्यार्थियों और अध्यापकों का संस्था के भीतर एकाकी स्वरूप समाप्त होगा और उनमें सामुदायिकता एवं भागीदारी की भावना का विकास होगा। शिक्षण कौशलों का विकास संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करता है। इसके लिए भी समुचित प्रबंध किया जाएगा। कला, खेल विज्ञान की संयुक्त प्रदर्शनी या बौद्धिक प्रतियोगिताएँ जैसे प्रश्नोत्तरी वाद–विवाद संगोष्ठी के आयोजन विद्यालय संगठन को प्रभावी बनाने के लिए उपयोगी होगा। विद्यालय संगठन में विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए अलग से भी कार्यक्रम और योजनाएँ संचालित की जाएँगी। विद्यालय के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को स्वायत्तता पूर्ण परिवेश उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनके नेतृत्व में विद्यालय प्रबंधन समिति अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप योजनाओं को बनाने और क्रियान्वित करने में किसी बाधा का अनुभव न करे। ऐसा होने पर विद्यालय प्रबंध समितियाँ अपने दायित्व का निर्वहन कर पाएँगी। विद्यालयों में संसाधन की उपलब्धता, उनके इष्टतम उपयोग द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित होगी। इस नीति में सुझाव दिया गया है कि एक माध्यमिक विद्यालय को केंद्र में रखते हुए विद्यालय संकुल का निर्माण किया जाए। इससे 5 से 10 किलोमीटर की परिधि में आनेवाले छोटे विद्यालयों और आँगनवाड़ियों को संबद्ध किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकारों को प्राथमिकता के आधार पर पहल करनी पड़ेगी। प्रत्येक विद्यालय की अपनी विकास योजना होगी। इस योजना में स्पष्ट उल्लेख होगा कि कौन सी अधिगम निष्पत्तियाँ अपेक्षित हैं। स्थानीय स्तर पर इस तरह की विकास योजना का होना भारतीय समाज की विविधता को ध्यान में रखते हुए विद्यालय के संचालन में मददगार बनेगा। इसके साथ–साथ निजी और सरकारी विद्यालयों के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा दिया जाएगा। इस नीति में एक महत्त्वपूर्ण परिकल्पना की गई है, जो विद्यार्थियों को एक साथ एकत्र होने और कला, साहित्य एवं जीवन कौशल के अनुभव को साझा करने का अवसर उपलब्ध कराएगी। इस तरह से विद्यालय में स्कूल संकुल की कल्पना जागरूक सामाजिक चेतना को स्थापित करने का माध्यम बनेगी।

न्यूनतम हस्तक्षेप बेहतर संचालन

राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग का दायित्व होता है कि वे विद्यालयों के प्रशासन, नियमन एवं नीतियों के क्रियान्वयन का कार्य करें। विद्यालय तंत्र के नियमन का उद्देश्य विद्यालयों को सशक्त बनाना, अध्यापकों पर विश्वास करना और उन्हें श्रेष्ठता की ओर उन्मुख करने के लिए भी प्रेरित करना है। शिक्षा विभाग का दायित्व नीतियों का निर्माण करना एवं उनका निरीक्षण करना है। इसके माध्यम से उन्हें शिक्षा में सुधार करना है। उन्हें विद्यालयों के संचालन में नहीं पड़ना चाहिए। विद्यालयी शिक्षा से जुड़ी सेवाओं का संचालन शिक्षा निदेशालय और उसकी अनुषंगी संस्थाओं द्वारा किया जाएगा, जिसमें डी.ई.ओ और बी. ई. ओ. आदि शामिल होंगे। राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण का निर्माण राज्य स्तर पर किया जाएगा। यह संस्था विद्यालयों की गुणवत्ता और प्रत्यायन को सुनिश्चित करेगी। यह प्रक्रिया प्रत्येक स्तर और प्रत्येक प्रकार के विद्यालय के लिए होगी। विद्यालयों की प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग इस तरह से किया जाएगा, जिससे व्यवस्था में पारदर्शिता आए और जनभागीदारी को बढ़ावा मिल। राज्यों की एस.सी.ई.आर.टी. का कार्य क्षेत्र पाठ्यचर्या विकास और परीक्षा प्रणाली से जुड़ा होगा। इसके लिए एस.सी.ई.आर.टी. को विद्यालयों की गुणवत्ता के आकलन का प्रारूप तैयार करना होगा। राज्य स्तर पर विद्यार्थियों की दक्षता से संबंधित परीक्षा एवं प्रमाणन का कार्य परीक्षा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। निजी और सरकारी संस्थाओं का एक ही कसौटी पर आकलन किया जाएगा। विद्यालयों के संचालनों में सभी हितचिंतकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। इस तरह से इस नीति में यथार्थोन्मुख नियमन एवं गवर्नेस के सुझाव हैं। इनके क्रियान्वयन से निःशुल्क, अनिवार्य और समतामूलक गुणवत्तापर्ण शिक्षा प्रणाली विकसित की जा सकेगी,

जो शाश्वत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान करेगी। इस नीति का स्पष्ट मानना है कि बच्चों की सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता का क्षेत्र है, जिसके लिए समुचित कदम उठाए जाएँगे। इस तरह से यह नीति भारत के स्वतंत्रता की शताब्दी वर्ष के पूर्व दुनिया की एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा–व्यवस्था को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा परिकल्पित सुझावों के द्वारा यह संभव है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

पुस्तकें :

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
2. 'शिक्षा का महत्व'डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ।
3. 'भारतीय शिक्षा सिस्टम' डॉ. राधाकृष्णन।
4. 'शिक्षा की सामाजिक पृष्ठभूमि' डॉ. अमर्त्य सेन।
5. 'विद्यालय शिक्षा का विकास' एनसीईआरटी.

ऑनलाइन संसाधन :

1. विकिपीडिया – शिक्षा
2. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
3. एनसीईआरटी
4. यूनेस्को
5. वर्ल्ड बैंक

पत्रिकाएं :

1. शिक्षा पत्रिका
2. भारतीय शिक्षा पत्रिका
3. शिक्षा अनुसंधान पत्रिका
4. शिक्षक शिक्षा पत्रिका
5. शिक्षा समीक्षा पत्रिका